राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 15/2021

दायर दिनांकः–17.02.2021

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. बजरंग सिंह पुत्र स्व. देवीसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–शेखावतों की ढाणी, रूपनगढ जिला अजमेर राज0।

––––वादी

बनाम

1. पुष्पा कंवर पत्नि स्व. देवीसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–शेखावतों की ढाणी, रूपनगढ जिला अजमेर राज0।
2. अगराज सिंह पुत्र स्व. देवीसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–शेखावतों की ढाणी, रूपनगढ जिला अजमेर।
3. हनुमान सिंह पुत्र स्व. देवीसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–शेखावतों की ढाणी, रूपनगढ जिला अजमेर।
4. नाहर सिंह पुत्र स्व. देवीसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–शेखावतों की ढाणी, रूपनगढ जिला अजमेर।
5. अन्नू कंवर पुत्री स्व. देवीसिंह, जाति–राजपूत, निवासी रूपनगढ, जिला अजमेर।
6. नारायण सिंह पुत्र सरदारसिंह, जाति–राजपूत, निवासी रूपनगढ, जिला अजमेर।
7. श्योराम पुत्र हरलाल जाति जाट, निवासी रूपनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान।
8. रामबिलास पुत्र सुखराम जाति जाट, निवासी रूपनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान।
9. रामसिंह पुत्र बन्नेसिंह, जाति–राजपूत, निवासी रूपनगढ, जिला अजमेर। (फौत)
10. गणेशसिंह पुत्र बन्नेसिंह, जाति–राजपूत, निवासी रूपनगढ, जिला अजमेर। (फौत)
11. मोतीसिंह पुत्र बन्नेसिंह, जाति–राजपूत, निवासी रूपनगढ, जिला अजमेर।
12. सुप्यार कंवर पत्नि मदनसिंह, जाति–राजपूत, निवासी रूपनगढ, जिला अजमेर। (फौत)
13. किशोरसिंह पुत्र मदनसिंह, जाति–राजपूत, निवासी रूपनगढ, जिला अजमेर।
14. बलवीरसिंह पुत्र मदनसिंह, जाति–राजपूत, निवासी रूपनगढ, जिला अजमेर।
15. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान
16. प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा–रुपनगढ।

––––प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 22.09.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की ग्राम रुपनगढ के वर्तमान खसरा नम्बर 790 की कुल 90 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पति/पिता देवीसिंह का निधन हो चुका है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पति/पिता देवीसिंह के निधन के बाद उनके हिस्से की भूमि का विरासत नामान्तरकरण विधि अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पक्ष में स्वीकृत किया गया। वादी का वादग्रस्त भूमि में 1/20 हिस्सा निहित था। वादी का राजकीय रिकॉर्ड यथा पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि में नाम बजरंग सिंह पुत्र देवीसिंह ही अंकित करवाया हुआ है। वादी के पिता देवीसिंह के निधन के बाद उनके हिस्से की भूमि का विरासत नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय वादी का नाम सहवन से बजरंग सिंह के स्थान पर विजय सिंह अंकित कर दिया गया है जो संशोधन योग्य है। वादी का वास्तविक नाम बजरंग सिंह है और ... नाम से जाना व पहचाना जाता है। वादी ने राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित नकल ... दिनांक 26.02.2019 को प्राप्त की तब वादी को उसके गलत नाम के अंकन की जानकारी हुई। इससे पूर्व वादी ... नाम के अंकन की कोई जानकारी नही थी। प्रतिवादी संख्या 6 से 14 खसरा नम्बर 790 के सहखातेदार ... के रूप में संयोजित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 8, 11, 13 से 16 के सम्मन तामिलशुदा एवं प्रतिवादी संख्या 9, 10 व 12 के सम्मन फौत होने से अदम तामिल प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 1 से 6, 11,13 से 15 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रकरण में पेरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)

ओर से जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम रुपनगढ की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073–2076 जमाबंदी संवत् 2075 (वर्ष 2019) के स्थायी के खाता संख्या 5 में खसरा नम्बर 790 रकबा 14.7157 है0 में अगराजसिंह पुत्र देवीसिंह हि0 1/20 (प्रतिवादी संख्या 2) राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रुपनगढ (प्रतिवादी संख्या 10) किशोरसिंह पुत्र मदनसिंह हि0 1/24 (प्रतिवादी संख्या 13) गणेशसिंह पुत्र बन्नेसिंह हि0 1/8 (प्रतिवादी संख्या 10) अगराजसिंह पुत्र देवीसिंह हि0 1/20 (प्रतिवादी संख्या 2) नारायणसिंह पुत्र सरदारसिंह हि0 3/16 (प्रतिवादी संख्या 6) अगराजसिंह पुत्र देवीसिंह हि0 1/20 (प्रतिवादी संख्या 2) राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रुपनगढ (प्रतिवादी संख्या 16) पुष्पा कंवर पत्नि देवीसिंह हि0 1/20 (प्रतिवादी संख्या 1) राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रुपनगढ (प्रतिवादी संख्या 16) बलबीरसिंह पुत्र मदनसिंह हि0 1/24 (प्रतिवादी संख्या 14) सुप्यार कंवर पत्नि मदनसिंह हि0 1/24 (प्रतिवादी संख्या 12) मोतीसिंह पुत्र बन्नेसिंह हि0 1/8 (प्रतिवादी संख्या 11) राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रुपनगढ (प्रतिवादी संख्या 16) रामसिंह पुत्र बन्नेसिंह हि0 1/8 (प्रतिवादी संख्या 9) विजयसिंह पुत्र देवीसिंह हि0 1/20 राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रुपनगढ (प्रतिवादी संख्या 16) हनुमानसिंह पुत्र देवीसिंह हि0 1/20 (प्रतिवादी संख्या 3) राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रुपनगढ (प्रतिवादी संख्या 16) सर्व जाति राजपूत सा0 देह खातेदार व रामविलास पुत्र सुखराम हि0 1/32 (प्रतिवादी संख्या 8) जाति जाट सा0 देह खातेदार व श्योराम पुत्र हरलाल हि0 1/32 (प्रतिवादी संख्या 7) जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज है। वाद अधीन भूमि ग्राम रुपनगढ का खसरा नम्बर 790 रकबा 90–19 बीघा जमाबंदी संवत् 2041 में देवीसिंह पुत्र सरदारसिंह हि0 1/4 जाति राजपूत के नाम दर्ज थी जो देवीसिंह की विरासत से जरिये नामान्तरकरण सं. 133 स्वीकृत से पुष्पाकंवर पत्नि देवीसिंह, अगराजसिंह, हनुमानसिंह (प्रतिवादी संख्या 1 से 3) विजयसिंह, नाहरसिंह (प्रतिवादी संख्या 4) पि0 देवीसिंह के नाम दर्ज हुई थी।

हमनें पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। तद्नुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपनगढ़ के ख0न0 790 में वादी के दर्ज नाम विजयसिंह पुत्र देवीसिंह के स्थान पर बजरंगसिंह पुत्र देवीसिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:03 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil procedure code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ (अजमेर)

व इजलास श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस

राजस्व वाद सं0 15/2021

1. बजरंग सिंह पुत्र स्व. देवीसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–शेखावतों की ढाणी, रूपनगढ जिला अजमेर राज0।

-----वादी

बनाम

1. पुष्पा कंवर पत्नि स्व. देवीसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–शेखावतों की ढाणी, रूपनगढ जिला अजमेर राज0।
2. अगराज सिंह पुत्र स्व. देवीसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–शेखावतों की ढाणी, रूपनगढ जिला अजमेर।
3. हनुमान सिंह पुत्र स्व. देवीसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–शेखावतों की ढाणी, रूपनगढ जिला अजमेर।
4. नाहर सिंह पुत्र स्व. देवीसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–शेखावतों की ढाणी, रूपनगढ जिला अजमेर।
5. अन्नु कंवर पुत्री स्व. देवीसिंह, जाति–राजपूत, निवासी रूपनगढ, जिला अजमेर।
6. नारायण सिंह पुत्र सरदारसिंह, जाति–राजपूत, निवासी रूपनगढ, जिला अजमेर।
7. श्योराम पुत्र हरलाल जाति जाट, निवासी रूपनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान।
8. रामबिलास पुत्र सुखराम जाति जाट, निवासी रूपनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान।
9. रामसिंह पुत्र बन्नेसिंह, जाति–राजपूत, निवासी रूपनगढ, जिला अजमेर। (फौत)
10. गणेशसिंह पुत्र बन्नेसिंह, जाति–राजपूत, निवासी रूपनगढ, जिला अजमेर। (फौत)
11. मोतीसिंह पुत्र बन्नेसिंह, जाति–राजपूत, निवासी रूपनगढ, जिला अजमेर।
12. सुप्यार कंवर पत्नि मदनसिंह, जाति–राजपूत, निवासी रूपनगढ, जिला अजमेर। (फौत)
13. किशोरसिंह पुत्र मदनसिंह, जाति–राजपूत, निवासी रूपनगढ, जिला अजमेर।
14. बलवीरसिंह पुत्र मदनसिंह, जाति–राजपूत, निवासी रूपनगढ, जिला अजमेर।
15. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान
16. प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा–रुपनगढ।

-----प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपनगढ़ के ख0न0 790 में वादी के दर्ज नाम विजयसिंह पुत्र देवीसिंह के स्थान पर बजरंगसिंह पुत्र देवीसिंह दर्ज करने के आदेश किये जाते है।

असप्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.09.20[illegible] की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:06:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)